

प्रेस नोट दिनांक- 01.09.2025

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

◆ पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में थाने अन्तर्गत हुई विभिन्न चोरी की घटनाओं का किया गया पर्दाफाश

◆ थाना बलुआ पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार।

◆ गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के कुल 14 छोटा/बड़ा पीतल का घंटा, 01 पीतल की परात, 01 पीतल का लोटा व 01 गगरा किया गया बरामद।

चन्दौली- आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश के अमुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व स्नेहा तिवारी, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध थाना बलुआ के कुशल नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जनपद के भिन्न-भिन्न मन्दिरों से घण्ट घड़ियाल व घर में घुस कर चोरी करने वालें शातिर अभियुक्त आकाश निषाद पुत्र रामा निषाद निवासी ग्राम पूरा गनेश थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष को दिनांक 01.09.2025 को समय करीब 01.05 बजे नैढी ईदगाह चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर ग्राम अगस्तीपुर पुराने ईट भट्टे के पास झाड़ियों में से कुल 14 छोटा/बड़ा पीतल का घंटा, 01 पीतल की परात, 01 पीतल का लोटा व 01 गगरा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 11/12.08.2025 माँ बंगला मुखी मन्दिर से चोरी गये दो पीतल के घण्टे के आधार पर मु0अ0सं0- 189/25 धारा 305(a) BNS,

2-दिनांक 18.08.2025 को काली माता मन्दिर छपरा तुर्कहा से चोरी गये एक अदद घण्टे के आधार पर मु0अ0सं0- 208/25 धारा 305(a) बीएनएस,

3-दिनांक 21.06.2025 की रात में माँ खण्डवारी देवी मन्दिर वहद ग्राम खण्डवारी में दो पीतल के घण्टे व ट्रैक्टर की बैटरी व एक अदद पीतल के घड़े की चोरी के आधार पर मु0अ0सं0- 149/25 धारा 305(a) बीएनएस ,

4-माह मई 2025 में वादी मुकदमा श्री अजय केवट निवासी ग्राम पूरा गनेश थाना बलुआ जनपद चन्दौली के घर में से पंखा, जेवरात, बर्तन व अन्य सामान के चोरी के आधार पर मु0अ0सं0- 108/25 धारा 331(4)/ 305(a) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली , 5-थाना क्षेत्र अलीनगर में ग्राम बसनी में मन्दिर से चोरी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु0अ0सं0- 382/25 धारा 305(d)/324(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली व थाना क्षेत्र चन्दौली के ग्राम मसौनी में मन्दिर से चोरी के आधार पर थाना व जनपद चन्दौली पर मु0अ0सं0- 123/25 धारा 305(d) बीएनएस थाना व जनपद चन्दौली।

उपरोक्त सभी घटना के सम्बन्ध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आकाश निषाद पुत्र रामा निषाद निवासी ग्राम पूरा गनेश थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी-

कुल 14 छोटा/बड़ा पीतल का घंटा,

01 पीतल की परात,

01 पीतल का लोटा

01 गगरा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आकाश निषाद-

- 1.मु0अ0सं0- 204/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 2.मु0अ0सं0- 02/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 3.मु0अ0सं0- 244/24 धारा 316(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 4.मु0अ0सं0- 189/25 धारा 305(a) /317(2) BNS थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 5.मु0अ0सं0- 208/25 धारा 305(a) /317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
6. मु0अ0सं0- 149/25 धारा 305(a) /317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 7.मु0अ0सं0- 108/25 धारा 331(4)/ 305(a)/317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 8.मु0अ0सं0- 382/25 धारा 305(d)/324(2) /317(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

9.मु0अ0सं0- 123/25 धारा 305(d) /317(2) बीएनएस थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

(गिरफ्तार अभियुक्त के अपराधिक इतिहास व घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।)

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 01.09.2025 समय 01.09 बजे स्थान:- नैढी ईदगाह चौराहा

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. सलिल स्वरूप आदर्श निरीक्षक अपराध थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी मारूफपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी मोहरगंज थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4. हे0का0 पवन कुमार बिन्द थाना बलुआ जनपद चन्दौली
5. का0 अल्लाफ अहमद थाना बलुआ जनपद चन्दौली
6. का0 सुग्रीव चौरसिया थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा गौ-तस्करी करने वाले दो तस्कर को किया गिरफ्तार।

01 पिकअप से 03 गोवंशों को किया गया बरामद

आदित्य लांगे पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा गौ तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद की टीम के 30 नि० दिनेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम बरठी कमरौर एनएच 02 हाइवे ओवरब्रीज उत्तरी लेन से एक 01 वाहन बोलेरो पिकप मैक्स न. UP42ET4727 से कुल 03 गोवंश (03 गाय) की बरामदगी करते हुए मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 251/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि. का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 251/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि.।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विजय कुमार S/O रामकरन R/O भगलची थाना रौनाही जिला अयोध्या
2. अमरजीत यादव S/O काली प्रसाद उम्र करीब 28 वर्ष R/O नाला मुहल्ला बरियाटोला रौनाही थाना रौनाही जिला अयोध्या

बरामदगी का स्थान व समय-

एनएच 2 हाइवे पर स्थित ग्राम बरठी कमरौर ओवरब्रीज के उत्तरी लेन दिनांक 01.09.2025 समय 05.45 बजे

बरामदगी

1. 03 गोवंश गाय
2. 01 वाहन बोलेरो पिकप मैक्स न. UP42ET4727

3.200 रूपये, 02 टच स्क्रीन मोबाइल

पुलिस टीम

- 1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
- 2.उनि० दिनेश कुमार सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली ।
- 3.का० रूद्र प्रताप थाना सैयदराजा चन्दौली